वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

विद्या परिषद की 64 वीं बैठक

कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद की 64 वीं बैठक दिनांक 07 अप्रैल, 2022 को पूर्वान्ह 11:15 बजे विश्वविद्यालय के मुख्यालय स्थित गांधी भवन में आयोजित की गई । बैठक की अध्यक्षता माननीय कुलपति महोदय द्वारा की गई एवं बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :–

1. प्रो० (डॉ०) रतनलाल गोदारा — अध्यक्ष
   कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा

2. प्रो० (डॉ०) मनरूप सिंह मीणा, — सदस्य
   प्रो० वाइस चांसलर,
   इन्दिरा गांधी रा० मुक्त वि०वि०, नई दिल्ली।

3. डॉ० अखिल कुमार, — सदस्य
   डिपार्टमेंट आफ लॉ, राज०वि०वि०, जयपुर।

4. प्रो० अशोक शर्मा, — सदस्य
   आचार्य, राजनीति विज्ञान, वमखुविवि, कोटा

5. प्रो० बी० अरूण कुमार — सदस्य
   निदेशक (अकादमिक) एवं आचार्य, राजनीति विज्ञान,
   एवं परीक्षा नियंत्रक, वमखुविवि, कोटा

6. डॉ० सुबोध कुमार, — सदस्य
   सह आचार्य, पत्रकारिता वमखुविवि, कोटा

7. डॉ० अनिल कुमार जैन — सदस्य
   सह आचार्य, शिक्षा, वमखुविवि,कोटा

8. डॉ० जितेन्द्र कुमार शर्मा — सदस्य
   निदेशक, क्षे०के० वमखुविवि,जयपुर।

9. डॉ0 रश्मि बोहरा, सदस्य
निदेशक, क्षे0के0 वमखुविवि, उदयपुर

10. डॉ0 श्रीमती क्षमता चौधरी, सदस्य
सहा0 आचार्य, अंग्रेजी, वमखुविवि,कोटा

11. डॉ0 अनुरोध गोधा,, सदस्य
सहा0 आचार्य, वाणिज्य, वमखुविवि,कोटा

12. डॉ0 (श्रीमती) अनुराधा दुबे सदस्य
सहा0 आचार्य, वनस्पति शास्त्र, वमखुविवि, कोटा

13. डॉ0 अखिलेश कुमार, सदस्य
सहा0 आचार्य, शिक्षा, वमखुविवि, कोटा

14. डॉ0 आलोक चौहान, सदस्य
सहा0 आचार्य, भूगोल, वमखुविवि, कोटा

15. डॉ0 संदीप हुड्डा, सदस्य
सहा0 आचार्य, प्राणी शास्त्र, वमखुविवि, कोटा

16. डॉ0 सुरेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ, सदस्य
सहा0 आचार्य, अर्थशास्त्र, वमखुविवि, कोटा

17. श्री रवि गुप्ता, सदस्य
सहा0 आचार्य, गणित, वमखुविवि, कोटा

18. श्री सुशील राजपुरोहित, सदस्य
सहा0 आचार्य, भौतिक विज्ञान, वमखुविवि, कोटा

19. श्री नीरज अरोड़ा, सदस्य
सहा0 आचार्य, कम्प्यूटर साइंस, वमखुविवि, कोटा

20. डॉ. अरूण त्यागी
अध्यक्ष, वीएमओयू एल्यूम्नी सोसायटी,
कोटा

विशेष आमंत्रित

21. श्री महेश चंद मीना
कुलसचिव

सदस्य सचिव

आयुक्त, कालेज शिक्षा, जयपुर, प्रो0 जे0के0 डोडिया (राजकोट), डा0 महेश शर्मा,(जयपुर), डॉ0 अकबर अली, सहा0 आचार्य, लोक प्रशासन वमखुविवि, डॉ. कपिल गौत्तम एवं प्रो. रमेश जैन, (विशेष आमंत्रित सदस्य) अपरिहार्य कारणों से बैठक में भाग नहीं ले सके।

सर्वप्रथम कुलसचिव महोदय ने बैठक में समस्त उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात माननीय कुलपति महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों का अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए नवनियुक्त सदस्य प्रो0 मनरूप सिंह मीणा, प्रो वाईस–चांसलर, ईग्नू का विशेष आभार व्यक्त किया एवं कहा कि उनके लंबे अकादमिक एवं प्रशासनिक अनुभवों का लाभ विश्वविद्यालय को निश्चित रूप से प्राप्त होगा।

अध्यक्ष एवं माननीय कुलपति महोदय की अनुमति प्राप्त कर कुलसचिव ने बिन्दुवार प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किए एवं विस्तृत चर्चा कर निम्न निर्णय लिए गए :–

64/01 विद्या परिषद की 63वीं बैठक दिनांक 17 नवम्बर, 2021 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

सदन के सदस्यों द्वारा कार्यवाही विवरण का अवलोकन किया गया। डॉ0 अनुरोध गोधा ने बिन्दु संख्या 63/5 के संबंध में ध्यानाकर्षण करते हुए कहा कि निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्रों को शोध पर्यवेक्षक बनाये जाने के संबंध में पदों के विज्ञापन, योग्यताओं एवं समय समय पर योग्यताओं में परिवर्तन के संबंध में समस्त दस्तावेज क्या विद्या परिषद के पटल पर प्रस्तुत किए गए है ? साथ ही डॉ0 जितेन्द्र शर्मा ने भी की गई कार्यवाही की प्रतिलिपियां उपलब्ध कराने के लिये कहा। आगामी बैठक में संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कराने हेतु आश्वस्त किया गया।

डॉ0 संदीप हुड्डा ने अवगत कराया कि 63वीं बैठक दिनांक 17 नवम्बर, 2021 के कार्यवाही विवरण में कुछ संशोधन हेतु ई–मेल द्वारा सूचित किया था लेकिन उसमें तदनुसार आवश्यक संशोधन नहीं किये गये हैं। उन्हें भी आश्वस्त किया गया कि कार्यवाही विवरण में आवश्यक संशोधन कर दिया जायेगा।

उक्त चर्चा के पश्चात कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही प्रभारी – कुलसचिव

64/2 विद्या परिषद की 63वीं बैठक दिनांक 17 नवम्बर 2021 में लिए गए निर्णयों की पालना में अनुपालना प्रतिवेदन अवलोकन एवं पुष्टि का प्रस्ताव।

सदन द्वारा अनुपालना प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। बिन्दु संख्या 63/3 पर प्रकाश डालते हुए डॉ0 अनुरोध गोधा ने सदन को अवगत कराया कि एम.कॉम (ई.ए.एफ.एम) कार्यक्रम के ईकाई लेखन का कार्य तीव्र गति से चल रहा है एवं अप्रैल, 2022 के अंत तक लगभग 80 प्रतिशत कार्य सम्पन्न हो जायेगा।

बिन्दु संख्या 63/5 के संबंध में निदेशक , क्षेत्रीय केन्द्रों को शोध पर्यवेक्षक बनाए जाने के संबंध में कुलसचिव कार्यालय से क्षेत्रीय केन्द्रों के निदेशकों के साथ बैठक कर चर्चा अनुसार स्मरण पत्र तैयार कर यू.जी.सी को भेजते हुए निदेशक , क्षेत्रीय केन्द्रों को भी अवगत कराया जावे ।

बिन्दु संख्या 63/6 के संबंध में माननीय कुलपति महोदय ने सदन को अवगत कराया कि शोध प्रकरणों के संबंध में राजभवन को भी पूरी जानकारी है इसलिए इसे अत्यंत गंभीरता एवं प्राथमिकता से संपादित किया जावे। डॉ0 क्षमता चौधरी ने सदन को अवगत कराया कि शोध प्रकरणों पर विचार हेतु गठित समिति की एक बैठक आयोजित हो गई है एवं अगली बैठक भी शीघ्र ही आयोजित की जायेगी तथा माह जून, 2022 तक इस पर अंतिम निर्णय होने की संभावना है।

कार्यवाही प्रभारी – कुलसचिव, संयोजक (वाणिज्य), निदेशक (शोध प्रकोष्ठ)

64/3 नये अध्ययन केन्द्र खोलने के संबंध में क्षेत्रीय सेवा प्रभाग से प्राप्त प्रस्ताव ।

निदेशक, क्षेत्रीय सेवायें प्रभाग से प्राप्त निम्न 04 नये अध्ययन केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया।

1. स्व. श्री भीखाभाई राजकीय महाविद्यालय, सागवाड़ा जिला डूंगरपुर में वमखुवि का अध्ययन केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव
2. महर्षि दयानन्द बालिका विज्ञान पी.जी. महाविद्यालय, झुंझुनू में वमखुवि का अध्ययन केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव
3. राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर में वमखुवि का अध्ययन केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव
4. ईश्वरम्मा शिक्षक प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय, जयपुर में वमखुवि का अध्ययन केन्द्र खोले जाने का अग्रिम प्रस्ताव

प्रो0 बी0 अरूण कुमार, निदेशक, क्षेत्रीय सेवायें ने प्रस्ताव से सदन को अवगत कराया और कहा कि नए यू. जी.सी अधिनियमम 2020 की पालना करते हुए अध्ययन केन्द्रों को खोलने की कार्यवाही की जा रही है। चर्चा के दौरान श्री सुशील राजपुरोहित ने विश्वविद्यालय के सभी अध्ययन केन्द्रों पर होने वाली काउन्सलिंग एवं प्रायोगिक कक्षाओं की सूचना की प्रतिलिपी निदेशक,क्षेत्रीय सेवाएँ प्रभाग व निदेशक अकादमिक को दिये जाने का मत रखा । इस संबंध में डॉ0 जितेन्द्र कुमार शर्मा, निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, जयपुर ने अवगत कराया कि इस बाबत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड की जाती है। श्री सुशील राजपुरोहित द्वारा रखा गया यह मत, जिसमे क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययन केन्द्रों के लिए जारी होने वाली काउंसलिंग कक्षाओं की कुल काउंसलिंग दिवस युक्त सूचना की प्रतिलिपि निदेशक क्षेत्रीय सेवाए प्रभाग, निदेशक अकादमिक व ई.एम.पी.सी. विभाग को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड हेतु काउंसलिंग कक्षाओ के प्रारम्भ होने से पहले दी जाए, सदन ने इस क्रियान्वयन व्यवस्था पर सहमति व्यक्त कर इसे लागू किये जाने का निर्णय लिया।

माननीय सदस्य प्रो0 मनरूप सिंह मीणा का मत था कि जहां तक संभव हो विद्यार्थियों की समस्या का समाधान अध्ययन केन्द्रों पर ही हो जाना चाहिए। डॉ0 संदीप हुड्डा द्वारा विज्ञान हेतु अध्ययन केन्द्र उपलब्ध नहीं होने का हवाला देते हुये विज्ञान के लिये अध्ययन केन्द्र खोले जाने की मांग की गई। क्षेत्रीय केन्द्र निदेशक,उदयपुर द्वारा अवगत करवाया कि विज्ञान विषय के लिये निर्धारित नॉर्म्स के अनुरूप पात्र अध्ययन केन्द्र उपलब्ध नहीं है। माननीय सदस्य डॉ0 हुड्डा द्वारा दो अध्ययन केन्द्र उपलब्ध होने की जानकारी दी गई। अध्यक्ष महोदय ने नये अध्ययन केन्द्र खोले जाने हेतु गंभीर प्रयास किये जाने की आवश्यकता बतलाई। निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र उदयपुर ने बताया कि महाविद्यालय अध्ययन केन्द्र खोले जाने हेतु सहमत नहीं होते हैं । अध्ययन केन्द खोले जाने के प्रयास किये गए हैं तथा उसके आधार पर ही सदन को अवगत कराया गया है कि अध्ययन केन्द्र उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु प्रयास जारी है।

निदेशक, क्षेत्रीय सेवायें प्रभाग प्रो0 बी0 अरूण कुमार द्वारा सदन को आश्वस्त किया गया कि निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने वाले केन्द्रों से संपर्क किया गया है और अध्ययन केन्द्र खोले जाने हेतु केन्द्र की सहमति प्राप्त होने पर अध्ययन केन्द्र खोले जावेंगे। माननीय सदस्य प्रो0 अशोक शर्मा ने कहा कि राज्य का कोई भी राजकीय महाविद्यालय अध्ययन केन्द्र खोलने की असहमति नहीं दे सकता है एवं राजकीय महाविद्यालयों को अध्ययन केन्द्र के रूप काउन्सलिंग, परीक्षा आयोजन आदि संबंधी भी हरसंभव सहायता करनी ही होगी। डॉ0 हुड्डा ने सुझाव दिया कि इस संबंध में फेकल्टी द्वारा भी प्रयास किया जाना चाहिये तथा नये अध्ययन केन्द्र खोले जाने के आदेश जारी किये जाने के संबंध में फेकल्टी से राय ली जावे तथा आदेश विवि की साईट पर अपलोड किया जावे।

डॉ. अनुरोध गोधा पूछा गया कि क्या राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर केवल महिलाओं के लिये है। इस पर प्रो0 बी0 अरूण कुमार, निदेशक, क्षेत्रीय सेवायें ने बताया कि उक्त केन्द्र केवल महिलाओं के लिये है। डॉ. अनुरोध गोधा द्वारा बताया गया कि महर्षि दयानन्द बालिका विज्ञान पी.जी. महाविद्यालय, झुंझुनू में अध्ययन केन्द्र खोले जाने हेतु समिति की अनुशंसा सशर्त है "यदि केन्द्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों की पूर्ति करता है"। इसे समिति की स्पष्ट अभिशंषा नहीं माना जा सकता। अतः समिति की बैठक कार्यवाही विवरण में आवश्यक संशोधन किया जाना अपेक्षित है। उन्हें आश्वस्त किया कि कार्यवाही विवरण में आवश्यक संशोधन कर दिया जायेगा।

अध्ययन केन्द्रों के बिल समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश समस्त क्षेत्रीय केन्द्रों के निदेशकों को दिए गए। सदस्यों का मत था कि ईग्नू की तुलना में वमखुवि के मानदेय अत्यधिक कम है अतः मानदेय बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव आगामी वित्त समिति में रखने का निर्णय किया गया।

उक्त विस्तृत चर्चा के उपरान्त महर्षि दयानन्द बालिका विज्ञान पी.जी. महाविद्यालय, झुंझुनू में अध्ययन केन्द्र खोले जाने हेतु समिति की बैठक कार्यवाही विवरण संशोधन कराते हुये नये अध्ययन केन्द्र खोलने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

कार्यवाही प्रभारी – निदेशक (क्षेत्रीय सेवायें), निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, नियंत्रक (वित्त)

64/04 बी.एस.सी स्नातक पाठ्यकम में दोनों विषय समूह को लागू किये जाने बाबत् प्रस्ताव।

1. अर्थशास्त्र, गणित एवं भूगोल,
2. अर्थशास्त्र, गणित एवं कम्प्यूटर विज्ञान

निदेशक, अकादमिक प्रो0 बी0 अरूण कुमार द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि प्रस्तावित विषय समूह पूर्व में भी संचालित थे जिन्हें बीच में बंद कर दिया गया था। छात्रों की जिज्ञासाओं के आधार पर कुछ निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्रों के अनुरोध पर यह प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। चर्चा उपरान्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया साथ ही निर्णय लिया गया कि इन बी.एस.सी. समूह के लिए विद्यार्थी प्रवेश व्यवस्था के लिए वर्ष में एक बार (जुलाई सत्र) विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जावें।

कार्यवाही प्रभारी – निदेशक (क्षेत्रीय सेवायें), निदेशक (संकाय), संबंधित विषय प्रभारी

64/05 आर.एस.सी.आई.टी. प्रमाण पत्र कार्यकम की पाठ्य सामग्री में संशोधन प्रस्ताव

आर.एस.सी.आई.टी. प्रमाण पत्र कार्यक्रम की पाठ्य सामग्री में संशोधन के संबंध में पाठ्यकम विकास समिति की बैठक दिनांक 15 नवम्बर, 2021 को आयोजित की गई थी। बैठक का कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

माननीय कुलपति महोदय ने समिति द्वारा तैयार पाठ्यक्रम की विशेषज्ञ समिति से पुनः परीक्षण का सुझाव दिया, किन्तु सदन के सदस्यों का मत था कि पाठ्यकम विकास समिति (CDC) द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम की पुनः समीक्षा कराया जाना उचित नहीं है। अतः विस्तृत चर्चा पश्चात प्रस्ताव को स्थगित रखते हुए आगामी विद्या परिषद में प्रस्तुत करने पर सहमति व्यक्त की गई।

64/06 स्नातकोत्तर कार्यक्रमों – प्राणि शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं भूगोल में शैक्षणिक सत्र जुलाई, 2021 से प्रवेश परीक्षा आधारित प्रवेश की लागू व्यवस्था के अनुमोदन का प्रस्ताव

स्नातकोत्तर कार्यक्रमों – प्राणि शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं भूगोल में शैक्षणिक सत्र जुलाई, 2021 से प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश देने की व्यवस्था का माननीय कुलपति महोदय द्वारा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 की धारा 8(18) प्रावधान(प्रतिलिपि संलग्न) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर किए गए अनुमोदन को विद्या परिषद के अवलोकन एवं स्वीकृति बाबत।

चूंकि एम.ए (भूगोल) कार्यक्रम में कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होती है। अतः भ्रांति दूर करने के लिए प्रस्ताव में स्नातकोत्तर विज्ञान कार्यक्रम में अंकित कर आंशिक संशोधन पश्चात प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

कार्यवाही प्रभारी – निदेशक (क्षेत्रीय सेवायें), निदेशक (संकाय), संबंधित विषय प्रभारी

64/07 शैक्षणिक गतिविधियों के उन्नयन हेतु विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ किए गए एम0 ओ0 यू0 सदन के समक्ष अवलोकन एवं पुष्टि हेतु प्रस्ताव

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों के उन्नयन हेतु निम्नलिखित विश्वविद्यालयों/संस्थाओं से एम0 ओ0 यू0 किए गए है:–

1. टी0एम0आई0 ई0ई0एकेडेमिक प्रा0 लि0 हैदराबाद।
2. डॉ0 बाबा साहेब अंबेडकर ओपन यूनिर्वसिटी, गुजरात
3. डॉ0 बी0 आर0 अंबेडकर ओपन यूनिर्वसिटी, हैदराबाद
4. हेमचन्द्राचार्य नोर्थ गुजरात यूनिर्वसिटी पाटन, गुजरात
5. यूनिर्वसिटी टेरबुका, इंडोनेशिया

माननीय सदस्य प्रो0 अशोक शर्मा ने पक्ष रखा कि क्योंकि MOUs का अध्ययन करने हेतु पर्याप्त समय नहीं मिल पाया है। अतः MOUs के संबंध में राय दिया जाना उचित नहीं है

अतः प्रस्ताव को स्थगित रखते हुए आगामी विद्या परिषद में प्रस्तुत करने पर सहमति व्यक्त की गई।

64/08 VMOU Alumni Society, Kota का Souvenir एवं Newsletter प्रकाशित करने की अनुमति बाबत प्रस्तावः–

विश्वविद्यालय द्वारा VMOU Alumni Society, Kota गठित की गई है, जिसके द्वारा Alumni और विश्वविद्यालय का व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु Alumni द्वारा Souvenir एवं Newsletter प्रकाशित करने की अनुमति बाबत प्रस्ताव प्रस्तुत है।

माननीय सदस्य प्रो0 अशोक शर्मा द्वारा पक्ष रखा गया कि Alumni द्वारा Souvenir एवं Newsletter जारी किया जाता है तो यह प्रशंसा योग्य है किन्तु इसके लिए विद्या परिषद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। Souvenir एवं Newsletter प्रकाशन संबंधी व्यय भी Alumni Society द्वारा ही वहन किया जाना है। अतः प्रस्ताव प्रस्तुत करने का औचित्य नहीं है।

उक्त संबंध में चर्चा उपरान्त सदन द्वारा इस संबंध में सहमति व्यक्त की गई कि Alumni Society, Kota द्वारा स्वयं के स्रोतों से व्यय वहन करते हुये Souvenir एवं Newsletter प्रकाशन किया जा सकता है।

कार्यवाही प्रभारी – वीएमओयू एल्यूम्नी सोसायटी, कोटा

64/09 "उद्यमिता एवं कौशल विकास प्रमाण पत्र" प्रारम्भ करने बाबत प्रस्तावः–

विश्वविद्यालय में उद्यमिता एवं कौशल विकास केन्द्र (CESD) की स्थापना कौशल विकास एवं उद्यमिता से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने के उद्देश्य से की गई है। इसी क्रम में "उद्यमिता एवं कौशल विकास प्रमाण पत्र" (Certificate in Entrepreneurship and Skill Development) पाठ्यक्रम प्रारंभ करना प्रस्तावित है।

माननीय सदस्य प्रो0 बी अरूण कुमार ने सदन को प्रस्ताव से अवगत कराते हुए बताया कि प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने बाबत सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है। इस संबंध में आगामी आवश्यक कार्यवाही की जानी है। डॉ0 अनुरोध गोधा का मत था कि उक्त कार्यक्रम में academic input के साथ industrial input भी सम्मिलित होना विद्यार्थियों के हित में होगा। डॉ0 अरूण त्यागी ने इस संबंध में राज्य सरकार की नीतियों से सदन को अवगत कराया।

उक्त चर्चा पश्चात "उद्यमिता एवं कौशल विकास प्रमाण पत्र" कार्यक्रम प्रारंभ करने पर सदन द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही प्रभारी – निदेशक (संकाय)

64/10 पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (MJ) कार्यक्रम की प्रवेश पात्रता में संशोधन बाबत् प्रस्तावः–

वर्तमान में विश्वविद्यालय नियमों में पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (MJ) कार्यक्रम की प्रवेश योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ बी0जे0 (एक वर्षीय) की उपाधि निर्धारित की हुई है। साथ ही विश्वविद्यालय में पत्रकारिता में बी0ए0 एडीशनल कार्यक्रम का भी प्रावधान है। बी0ए0 एडीशनल छात्रों से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (MJ) में प्रवेश हेतु लेटरल एंट्री के प्रावधान में छात्र से ली जाने वाली फीस अत्यधिक है।

प्रस्ताव में वर्णित मौजूदा व्यवस्था को छात्र एवं विषय के लिये हितकारी नहीं माने जाने की बात को सदन में पुनर्विचार कर प्रस्ताव को सही करके और निर्धारित/स्वीकृत प्रकिया अपनाते हुये आगामी विद्या परिषद में विचारार्थ रखने की अनुशंषा की गई।

विस्तृत चर्चा पश्चात प्रस्ताव को स्थगित रखने पर सहमति व्यक्त की गई।

(निदेशक, संकाय एवं संयोजक, पत्रकारिता)

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(महेश चंद मीना)
कुलसचिव एव
सदस्य सचिव, विद्या परिषद